WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, औरैया
विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

उपस्थितः राजेश चौधरी, एच0जे0एस0

विशेष वाद संख्या 74पी/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

प्रति

अंशू पुत्र कुंवर सिंह निवासी रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया।
.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0–499/2019
धारा–376–AB, 506 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक
अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम
थाना–दिबियापुर, जनपद औरैया।

अभियोजन पक्ष की ओर से–
श्री जितेन्द्र सिंह तोमर, विद्वान विशेष
लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम)

बचाव पक्ष की ओर से – विद्वान
अधिवक्ता श्री देवेन्द्र त्रिपाठी एडवोकट

निर्णय

1. पुलिस थाना दिबियापुर जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त अंशू पुत्र कुंवर सिंह निवासी रोशनपुर थाना दिबियापुर, जिला औरैया के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 499/2019 थाना दिबियापुर जिला औरैया में प्रेषित आरोप पत्र अर्न्तगत धारा 376–AB, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 व धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत विचारण किया जा रहा हैं।

2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33 की उपधारा (7) में प्रावधान है कि ''विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की गई है।'' भा0दं0सं0 1860 की धारा 228–क (03 फरवरी 2013 से प्रभावी) में दिये गये प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर इस न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता (Victim), जो कि वादी मुकदमा की पुत्री है, का नाम उजागर किया जाना उचित नहीं

WWW.LIVELAW.IN

है। अतः सुविधा की दृष्टि से आगे उसे ''पीड़िता'' (Victim) कहकर सम्बोधित किया जाएगा।

3. इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रार्थी सुरेश यादव पुत्र हुकुमसिंह निवासी ग्राम रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया द्वारा थाना दिबियापुर जनपद औरैया में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 09.09.2019 को पंजीकृत की गयी थी। वादी मुकदमा सुरेश यादव द्वारा थाना दिबियापुर जनपद औरैया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र (प्रदर्श क–03) में कथन इस प्रकार है कि–

> ''प्रार्थी सुरेश यादव पुत्र हुकुम सिंह ग्राम रोशनपुर कंचौसी थाना दिबियापुर औरैया का निवासी है। आज दिनांक 09.09.2019 को दोपहर मैं अपनी पत्नी शकुन्तला के साथ राशन लेने की दुकान पर गया था। मेरी पत्नी खेत पर जानवर चराने चली गयी थी। मेरी लड़की पीड़िता उम्र 10 वर्ष घर से सेन्ट्रल बैंक शाखा कंचौसी, खाता खुलवाने गयी थी। वहां से वापस आ रही थी, जब पीड़िता, अंशू पुत्र कुवर सिंह के घर के पास पहुंची तो अंशू, मेरी लड़की पीड़िता को अपने घर के अन्दर मुंह दबाकर ले गया तथा उसकी पैजामी व चड्डी उतारकर जबरन बलात्कार किया। मेरी लड़की खून से लस्त–पस्त लंगड़ाते हुए विकलांग विश्व स्कूल पहुंची और रोते हुए यह घटना बताई कुछ देर बाद अंशू एक अन्य लड़के के साथ मेरे पास पहुंचा तथा रिपोर्ट न लिखवाने की धमकी देने लगा। मैंने उसे रोका तो जान से मारने की धमकी देने लगा तभी कुछ लोगों ने उसे ललकारा तो वह मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ वहां से भाग गया। मैं अपनी लड़की को साथ लेकर आया हूं मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4. वादी मुकदमा सुरेश यादव द्वारा दी गयी तहरीर/सूचना के आधार पर मु0अ0सं0–499/2019 अन्तर्गत धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम थाना दिबियापुर जनपद औरैया में दिनांक 09.09.2019 को समय 19.48 बजे अभियुक्त अंशू के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। प्रकरण के विवेचक निरीक्षक श्री निर्भयचन्द्र द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अंशू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 376–AB, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त अंशू के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2019 को अभियुक्त अंशू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 376–AB, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5(m) सपठित धारा 6

WWW.LIVELAW.IN

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियुक्त अंशू के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साबित किए गए प्रपत्र
1.	पीड़िता	प्रदर्श क–01 बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0, प्रदर्श क–02 बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0
2.	सुरेश सिंह (वादी मुकदमा)	प्रदर्श क–03 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
3.	शकुन्तला	(वादी मुकदमा की पत्नी)
4.	मीरा	स्वतंत्र साक्षी
5.	महिला कां0 रेखा	प्रदर्श क–04 नकल रपट, प्रदर्श क–05 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	डा0 सीमा गुप्ता	प्रदर्श क–06 चिकित्सीय परीक्षण आख्या, प्रदर्श क–07 पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या
7.	महिला कां0 लक्ष्मी चौधरी	प्रदर्श क–01 पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0
8.	उपनिरीक्षक रामप्रकाश	प्रदर्श क–08 फर्द बरामदगी
9.	निरीक्षक निर्भय चन्द्र (विवेचक)	प्रदर्श क–09 नक्शानजरी, प्रदर्श क–10 फर्द बरामदगी, प्रदर्श क–11 नकल रपट, प्रदर्श क–12 आरोप पत्र

7. अभियोजन प्रपत्रों में क्रमशः प्रदर्श क–01 बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0, प्रदर्श क–02 बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0, प्रदर्श क–03 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र, प्रदर्श क–04 नकल रपट, प्रदर्श क–05 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–06 चिकित्सीय परीक्षण आख्या, प्रदर्श क–07 पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या, प्रदर्श क–08 फर्द बरामदगी, प्रदर्श क–09 नक्शानजरी, प्रदर्श क–10 फर्द बरामदगी, प्रदर्श क–11 नकल रपट एवं प्रदर्श क–12 आरोप पत्र है।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त अंशू का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा अभिकथन किया है कि वादी के हिस्से की सम्पूर्ण जायदाद, वादी के पिता ने उसके (अभियुक्त अंशू के) पिता व मां के नाम वसीयत कर दी। अंशू का पिता, वादी का सगा बड़ा भाई है। जमीन से सम्बिन्धित मुकदमों में कामयाब न हो पाने

WWW.LIVELAW.IN

पर दबाव बनाने के लिए तथा बदला लेने की मंशा से झूठी चार्जशीट बनवाई। अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त ने सूची पत्र कागज संख्या 35ख से एक किता छायाप्रति कागज संख्या 36ख सम्बन्धित एन0सी0आर0 सं0 52/2019 अन्तर्गत धारा 323 भा0दं0सं0 थाना दिबियापुर जिला औरैया, एक किता छायाप्रति कागज संख्या 37ख प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155(2) दं0प्र0सं0, एक किता सत्यप्रतिलिपि आदेश कागज संख्या 38ख सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या 158/2019, एक किता छायाप्रति कागज संख्या 39ख चिकित्सीय परीक्षण अभियुक्त अंशू एवं एक किता छायाप्रति 40ख सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 135/2018, मुकदमा अपराध संख्या 396/2018 थाना दिबियापुर जिला औरैया प्रस्तुत की गयी है

9. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376–AB, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध कारित करने का आरोप विरचित किया गया है। न्यायालय की राय है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन करने के पूर्व धारा 376–AB एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग कारित करने एवं बालक (Child) पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप विरचित किया गया है। बलात्संग को भा0दं0सं0 की धारा 375 में परिभाषित किया गया है। बलात्संग के अपराध के लिए भा0दं0सं0 की धारा 376 में दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 376–AB भा0दं0सं0 में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

12. धारा 376–AB भा0दं0सं0 दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 से अन्तः स्थापित की गयी है, जोकि दिनांक 21.04.2018 से लागू की गयी है। भा0दं0सं0 की धारा 376–AB इस प्रकार है– ''जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा''

WWW.LIVELAW.IN

13. धारा 5(m) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम इस प्रकार है ''जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसके द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा।''

14. धारा 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 05 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब कोई जब कोई प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की कोटि में आता है। अधिनियम की धारा 3 में 'प्रवेशन लैंगिक हमला' को परिभाषित किया गया है।

15. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान धारा 06 में किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 06 में संशोधन करके दण्ड की मात्रा में वृद्धि की गयी है जोकि दिनांक 16.08.2019 से लागू है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 09.09.2019 को समय अदम तहरीर स्थान ग्राम रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया में जब वादी मुकदमा सुरेश यादव की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र 10 वर्ष सेन्ट्रल बैंक शाखा कंचौसी से वापस आते समय जब अभियुक्त के घर के पास पहुंची तो अभियुक्त पीड़िता को मुंह दबाकर अपने घर के अन्दर ले गया तथा पीड़िता की पैजामी व चड्ढी उतारकर पीड़िता के साथ बलात्संग (Rape) किया तथा पीड़िता पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा प्रथम सूचना दाता सुरेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

निष्कर्ष

17. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि, क्या दिनांक 09.09.2019 को समय अदम तहरीर स्थान ग्राम रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया में शिकायतकर्ता/वादी मुकदमा सुरेश यादव की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र 10 वर्ष सेन्ट्रल बैंक शाखा कंचौसी से वापस आते समय, जब अभियुक्त के घर के पास पहुंची, तो अभियुक्त पीड़िता को मुंह दबाकर अपने घर के अन्दर ले गया तथा पीड़िता की पैजामी व चड्ढी उतारकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया तथा पीड़िता पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा प्रथम सूचना दाता सुरेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

18. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन

WWW.LIVELAW.IN

पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करना होता है, परन्तु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 में इस अधिनियम के अधीन कारित कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है–''जहां एक व्यक्ति, इस अधिनियम की धाराओं 3, 5, 7, एवं धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने के लिए, दुष्प्रेरित करने या प्रयास करने या करने के लिए अभियोजित किया जाता है, विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है।'' इस अधिनियम की धारा 30 में आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार है–''इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।'' इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को यह अवधारित करना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से साबित हो पाया है या नहीं।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में पीड़िता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को करीब 01.00 बजे दिन की बात है। वह बैंक से घर आ रही थी। उसे, अंशू भईया अपने घर के पास मिले थे। फिर उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पकड़कर घर के अन्दर ले गये। फिर उसे अपने घर के कमरे के अन्दर ले गये और कमरा बन्द कर लिया। फिर उसके कपड़े उतारे और उसकी सूसू वाली जगह में उंगली डाली थी। उसे चिल्लाने नहीं दे रहे थे, उसका मुंह बन्द किये थे। सूसू वाली नली उसके सूसू वाले रास्ते में डाल दी थी तथा सूसू की नली मुंह में भी डाली थी। उसने, अंशू भइया के हाथ जोड़े तथा पैर पकड़े थे। तब उसको छोड़ा था। उसके बहुत दर्द हुआ था और खून निकला था। फिर वह लंगड़ाते हुए अपने घर आयी थी। घर आकर उसने मम्मी–पापा को सारी घटना बतायी थी। घटना के समय खून उसके कपड़े व चारपाई पर भी लगा था। फिर उसके मम्मी–पापा पुलिस के पास उसे ले गये थे।

WWW.LIVELAW.IN

पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क, (प्रदर्श क–01) गवाह को दिखाया और पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो उसने महिला पुलिस को दिया था। बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। उसे पुलिस डाक्टरी के लिए अस्पताल ले गयी थी। गवाह को कागज संख्या 12क/3, महिला चिकित्सक को दिये गये बयान को, पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह बयान उसने महिला चिकित्सक को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। चिकित्सक ने मेडीकल जांच के समय चड्ढी, पाजामी और फ्रॉक ली थी और उसका मेडीकल परीक्षण किया था। कपड़ों में उसका खून लगा हुआ था। साक्षी ने कागज संख्या 9क बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 को प्रदर्श क–01 के रूप में साबित किया है। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या 19क, बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0, पढ़कर सुनाया गया और उस पर चस्पा फोटो दिखायी गयी तो गवाह ने फोटो, बयान एवं अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की। साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 को प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि आज वह बिना किसी डर या भय के स्वेच्छा से न्यायालय में अपने साथ घटित घटना के बाबत सही बात बताने आयी है। अंशू उसके चाचा का लड़का है व चचेरा भाई होने के कारण वह अंशू को अच्छी तरह से पहचानती है।

20. पीड़िता से बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि पुलिस को बयान देने से पूर्व तथा अदालत में बयान देने से पूर्व उसने अपने मम्मी–पापा से सलाह मशविरा किया था और उन्होंने जैसा बताया था वैसा बयान पुलिस को दिया था। आज उसके पापा अदालत आये हैं। आज जो उसने अदालत में बयान दिया था उसके बारे में उसने मम्मी–पापा से सलाह मशविरा किया था। उसे स्कूल का नाम पता है, प्राथमिक विद्यालय है। उसे प्रा0वि0 का नाम नहीं मालूम है, जहां वह पढ़ती है। वह बैंक में अंगूठा लगाने गयी थी। बैंक उसके घर से लगभग 1 किमी0 दूर है। उसे टाइम का पता नहीं है। उसने टाइम देखा नहीं था। वह बैंक एक बजे पहुंच गयी थी। बैंक में एक घण्टा रूकी थी। फिर बैंक से घर आ रहे थे। अभियुक्त अंशू का मकान बैंक के पास में स्थित है। बैंक व अभियुक्त अंशू के घर के मध्य में सड़क है। उसने अंशू द्वारा अपने घर ले जाने वाला समय अपने पापा को बताया था। अभियुक्त अंशू काले रंग की शर्ट पहने था और हाफ लोअर पहने था। अभियुक्त अंशू ने जब उसके साथ घटना कारित की थी तब उसके (पीड़िता के) सारे कपड़े अंशू ने निकाल दिये थे। अंशू ने घटना के समय अपनी लोअर व चड्ढी निकाल दिया था और निकालकर जमीन पर डाल दिये थे। घटना के बाद उसने (पीड़िता ने) अपने सारे कपड़े पहन लिये थे। अभियुक्त अंशू घटना

WWW.LIVELAW.IN

के बाद वहीं बना रहा। वह (पीड़िता) अपने कपड़े पहनकर घर चली गयी थी। जब वह (पीड़िता) घर पहुंच गयी तब अंशू घर तक पीछे से पहुंचा था। उसके घर पहुंचने के पूर्व मां–बाप घर पर थे। अंशू मोटर साइकिल से उसके घर आया था। वह (पीड़िता) अंशू के घर से अकेले भागते–भागते आयी थी। उसके घर पहुंचने के बाद अंशू उसके (पीड़िता के) घर आया था। उसने (पीड़िता ने) घर जाकर अपनी मां व पिता को पूरी घटना बतायी थी। अंशू उसके (पीड़िता के) घर आकर उसके पापा को मारने लगा। उस समय उसके मम्मी–पापा घर पर थे, भाई नहीं थे। मारपीट कर कुछ लोगों के आने पर ये लोग भाग गये थे। उसके मम्मी–पापा ने अंशू की मारपीट नहीं की। पुलिस चौकी उसके घर से लगभग 1 किमी दूर है। अंशू के जाने के बाद उसके मम्मी पापा उसको (पीड़िता को) लेकर पुलिस चौकी गये थे। उसे जानकारी नहीं है कि उन्होंने वहां कुछ लिखकर दिया था। उसने देखा नहीं थी। उसके मम्मी–पापा थाने से वापस आ गये थे। पुलिस साथ नहीं आयी थी। फिर उसी दिन आयी थी। कितनी देर बाद आयी थी, उसे नहीं पता, वह सो रही थी। उसके मम्मी–पापा ने उस दिन नहीं जगाया था। फिर पुलिस उससे उस दिन घर पर नहीं मिली। जिस दिन घटना घटी, उसी दिन अस्पताल ले गये थे। अस्पताल वह रात में गयी थी। वहां उसकी डाक्टरी हुई थी। वह घटना के समय जो कपड़े पहने थी, वही डाक्टरी के समय भी पहने थी, वही कपड़े पहनकर अस्पताल गयी थी। अस्पताल से फिर वह घर आ गयी थी। उस समय माता–पिता साथ थे। अदालत में उसका बयान हुआ था। उसे जानकारी है कि घटना के एक दिन बाद हुआ था। उस समय उसके मम्मी–पापा व महिला पुलिस साथ में थी। जब वह मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दे रही थी, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। बयान खत्म होने पर उसका बयान पर नाम उससे लिखवाया था। उससे बयान के पूर्व न्यायालय ने यह बात नहीं पूंछी थी कि सच और झूठ में क्या अन्तर है? सच बोलना या झूठ बोलना दोनों कौन सा पाप है या नहीं। उससे यह भी नहीं पूछा था बयान देने की समझ है या नहीं। महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। उस पर उसका नाम लिखवाया था। बयान उसी दिन ले लिया था, जिस दिन घटना हुई थी। गवाह को बयान, कागज संख्या 9क, दिखाया गया और पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उस पर तिथि अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि उसका कोई बयान न लिया गया हो और उसके सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर अपने आप बयान लिख लिया हो। उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। घटना के बाद वह दुबारा अंशू के घर नहीं गयी। वह मम्मी पापा को भी नहीं ले गयी थी। क्योंकि मम्मी–पापा को अंशू का घर पहले से पता है। यह कहना गलत है कि वह मम्मी–पापा के सिखाने पर झूंठा बयान दे रही है। यह कहना भी गलत है कि उसके साथ कोई घटना

WWW.LIVELAW.IN

न घटी हो।

21. दिनांक 03.10.2019 को बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि उसका घर झोपड़ी में है जो चारों ओर से खुली है। वहां से स्कूल थोड़ी दूर है उसके पास वीरू चच्चू का मकान है। वीरू चच्चू की झोपड़ी है और कोई मकान नहीं है। उसके घर से कंचौसी बाजार 1 किमी0 दूर है। उसे पता है कि उसे आज अदालत में क्यों बुलाया गया है। वह मम्मी–पापा के साथ आयी है। उसका बयान आज से पहले भी हुआ था। उसे यह जानकारी नहीं है कि जो उसका पहले बयान हुआ था उसमें कोई कमी थी या नहीं। जो उसने आज न्यायालय में बात बतायी है, वह बात उसने न्यायालय में उस दिन भी बताया था, जब उसने बयान दिया था। गवाह को मुख्य परीक्षा दिनांकित 25.09.2019, को पढ़कर सुनायी गयी, जिसमें सूसू वाली नली अभियुक्त द्वारा उसके सूसू वाली जगह में डालने वाली बात नहीं लिखी है, पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 ने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि दिनांक 25.09.2019 को न्यायालय में दिये गये बयान में भी यह बताया था कि, अभियुक्त अंशू ने अपनी सूसू वाली नली उसके (पीड़िता के) सूसू वाली जगह में डाली थी, परन्तु यह बात बयान में लिखने से दिनांक 25.09.2019 को कैसे छूट गयी उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मुख्य परीक्षा में छूटी हुई बात को पुनः कानूनी मशविरा से पूरा करने के लिए वह आज दुबारा बयान दे रही है।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य का दूसरा साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह, वादी मुकदमा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को दोपहर में वह राशन लेने गया था और उसकी पत्नी खेत पर जानवर चराने गयी थी। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 10 वर्ष घर से सेन्ट्रल बैंक शाखा कंचौसी में खाता खुलवाने गयी थी। वह और उसकी पत्नी दोनों लोग घर लौटे तभी उसकी पुत्री (पीड़िता) घर पर रोते हुए व लंगड़ाते हुए आयी थी। फिर उन लोगों ने पूछा तो पीड़िता ने बताया कि हाजिर अदालत अभियुक्त अंशू जो उसका (पीड़िता का) चचेरा भाई है, ने उसे (पीड़िता को) घर के सामने पकड़ लिया और अपने घर के अन्दर ले गया और कमरे में बन्द करके उसके (पीड़िता के) साथ उसकी पजामी व चड्डी उतारकर जबरन बलात्कार किया और मुंह में भी पेशाब वाली नली डाली। उसकी बेटी रोते हुए व लंगड़ाते हुए घर पहुंची थी और उसकी (पीड़िता की) पेशाब वाली जगह से खून आ रहा था। वह विकलांग स्कूल के पास पश्चिम दिशा में झोपड़ी बनाकर रहता है। उसकी बेटी के पहुंचने के 05 मिनट बाद अंशू उसके घर पर आया और धमकी दी की घटना की रिपोर्ट

WWW.LIVELAW.IN

न लिखाये यदि लिखाई तो जान से मार देंगे। उस समय आस–पास के लोग आ गये थे, जिनके ललकारने पर अभियुक्त वहां से भाग गया था। फिर वह अपनी लड़की को लेकर पुलिस चौकी गया था, वहां से थाने गया था। थाने के बाहर उसने अशोक कुमार से तहरीर लिखवाकर व सुन समझकर, उस पर अपना निशान अंगूठा लगाकर थाने मे दी थी, तब उसकी रिपोर्ट लिखी गयी थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क उसके द्वारा अशोक कुमार से लिखवाकर दी गयी तहरीर है जिस पर उसका निशान अंगूठा है। साक्षी ने अपने निशान अंगूठा की पुष्टि की तथा तहरीर को प्रदर्श क–03 के रूप में साबित किया। उसकी बेटी का पुलिस ने बयान लिया था और उसका (पीड़िता का) मेडिकल परीक्षण कराया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसने विवेचक को घटनास्थल दिखाया था। हाजिर अदालत अभियुक्त उसके बड़े भाई का लड़का है और उसकी बेटी के साथ बहुत ही गलत काम व गन्दी हरकत की है, जो क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। वह आज बिना किसी भय या डर के स्वेच्छा से बयान दे रहा है।

23. अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह चार भाई हैं। उसके बड़े भाई कुंवर सिंह, फिर विजय सिंह, फिर वह और उसके बाद मनोज सिंह हैं। उसके बड़े भाई कुंवर सिंह की पत्नी का नाम गीता है। वह बिना पढ़ा–लिखा है। उसे घटना की जानकारी लगभग तीन बजे हुई थी। जब वह घर पहुंचा था तब लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर पहुंचने के आधा घण्टे बाद उसकी पुत्री घर आयी थी। उसे पता था कि उसकी पुत्री बैंक गयी है। उस आधे घण्टे के दौरान वह बैंक नहीं गया। उस दिन बैंक में खाता नहीं खुला था, क्योंकि उसका अंगूठा नहीं लग पाया था। लड़की के आने के पांच मिनट बाद अंशू घर आ गया था। तब उसने तुरन्त कहा कि 100 नम्बर लगाओ। मोबाइल उसके पास था। मोबाइल वह लगा नहीं पाया। अंशू चिपट गया था। उसकी पत्नी ने अंशू से छुड़ाने की कोशिश की। अंशू ने उसकी धौल धप्पड़ की थी। तब तक आस पड़ोस के लोग आ गये थे। जो पड़ोसी आये थे उनके नाम जगमोहन प्रजापति, प्रदीप तिवारी, बिहारीपुर के मौजा कंचौसी तथा बिहारीपुर निवासी राजेश कठेरिया आदि लोग आ गये थे। तब अंशू भाग गया था। उस मारपीट में उसके कोई चोट नहीं आयी थी। उसने अंशू को कोई चोट नहीं पहुंचायी थी, बल्कि सही बात है कि उसने, इसे छुआ भी नहीं था। अंशू के जाने के बाद उसने 100 नम्बर डायल नहीं किया था। बिटिया को लेकर सीधा कंचौसी पुलिस चौकी पहुंचा था। जो उसके घर से 1 किमी दूर है। पुलिस ने लड़की की हालत देखकर उससे पूछताछ की थी। पुलिस चौकी कंचौसी पर करीब दो घण्टा रूका था। उस दो घण्टे के दौरान घटना की तहरीर

WWW.LIVELAW.IN

किसी ने नहीं लिखायी, बल्कि पुलिस चौकी पर उस समय उपस्थित पुलिस उसकी लड़की से पूछतांछ करती रही तथा पूंछतांछ को कागज पर लिख भी रही थी। पुलिस क्या लिख रही थी, उसे नहीं मालूम। इस दरमियांन सी0ओ0, इन्सपेक्टर एस0ओ0 और लेडीज पुलिस भी वहां आ गयी थी। उसके बाद चौकी में आये हुए सभी पुलिसजन ने लड़की के बयान लिये थे और थाने की जीप में उसे, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को लेकर थाना दिबियापुर ले आयी। उस जीप में महिला पुलिस भी थी। वह थाना दिबियापुर में रात 11.00 बजे तक रूका था। इसी दौरान थाने में उसकी रिपोर्ट लिखी गयी और गवाह ने बताया कि प्रार्थना पत्र थाने के बाहर दुकान पर आकर लिखाकर थाने में दिया था। दुकान किसकी थी, नहीं मालूम, लेकिन प्रार्थना पत्र उसके चाचा अशोक ने लिखा था और वही प्रार्थना पत्र लेखक हैं, जो उसके साथ कंचौसी से थाने तक आये थे। यह कहना गलत है कि उसने कानूनी सलाह मशविरा से अपने भाई कुंवर सिंह पर दबाव डालने हेतु फर्जी मुकदमा लिखाया है। उसके पिता का नाम हुकुम सिंह है, जो इस समय दुनिया में नहीं है। उसके पिता के नाम जमीन जायदाद थी। उसके पिता ने कुंवर सिंह (बड़े भाई) व छोटे भाई मनोज व उसकी भाभी गीता के नाम वसीयत कर दी थी और उस जमीन में उसे कोई हिस्सा नहीं दिया था और उसकी जो तन्हा जमीन है, उसे भी कुंवर सिंह जोतने नहीं दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में उसका जमीनी विवाद दीवानी अदालत और चकबन्दी न्यायालय में चल रह है और अभी तक कुंवर सिंह ने उसे कोई कब्जा नहीं करने दिया। यह कहना गलत है कि उसे उसकी लड़की के साथ हुई घटना की वास्तविक जानकारी न हो। यह भी कहना गलत है कि उसके बड़े भाई द्वारा खेती पर कब्जा कर लेने से व्यथित होकर उने दबाव बनाने के लिए कुंवर सिंह के लड़के अंशू (अपने भतीजे) के नाम झूठा मुकदमा लिखाया हो। अंशू की गिरफ्तारी घटना वाले दिन ही रात में नौ बजे हो गयी थी। जब वह थाना दिबियापुर में बैठा था तभी पुलिस अंशू को थाने में पकड़कर ले आयी थी। रिपोर्ट पहले लिखवायी थी। गिरफ्तारी बाद में हुई थी। जिस समय अंशू की गिरफ्तारी हुई थी उस समय यह काली शर्ट हाफ लोअर पहने था। उसकी पुत्री पीड़िता के कपड़े अस्पताल में ही उतार लिये थे। वह अस्पताल नहीं गया था। मुझे नहीं मालूम कपड़े सील किये गये थे या नहीं। अंशू के कपड़े थाने उतरवाये गये थे और उसके सामने सील किये गये थे। वहां लिखा–पढ़ी करी गयी थी तथा बरामदगी पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। वह थाने से लगभग रात में 11–12 बजे घटना के दिन घर चला आया था। अंशू वहीं थाने पर रहा था और उसकी जानकारी में पुलिस ने अंशू का चालान तीसरे दिन किया था। वह घटना के बाद अंशू के घर आज तक नहीं गया है। यह कहना गलत है कि जिस तरह से वह अपनी लड़की के बारे में घटना बता रहा है, वह न घटी

WWW.LIVELAW.IN

हो। यह कहना भी गलत है कि जमीन के वसीयतनामा कुंवर सिंह व गीता देवी के हक में होने तथा पूरी जमीन पर तन्हा कब्जा होने के कारण द्वेशवश दबाव डालने के कारण अपने भतीजे अंशू का फर्जी नाम उपरोक्त घटना में अपनी पुत्री पीड़िता को घटना की झूठी कहानी सिखाकर कराया हो। यह कहना भी गलत है कि उसकी नाबालिग बेटी पीड़िता ने जो भी बयान अभी तक दिया है वह उसके व उसकी पत्नी के सिखाने पर झूठा बयान दिया हो।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने लिए तथ्य के तीसरे साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला, (पीड़िता की मां) को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 09.09.2019 को दोपहर में वह खेतों पर गयी थी और उसके पति राशन लेने गये थे। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 10 वर्ष खाता खुलवाने कंचौसी करीब 1.00 बजे गयी थी। वह लोग जब घर लौटकर आये तभी उसकी पुत्री पीड़िता घर पर रोते और लंगड़ाते हुए आयी थी तब उसने व उसके पति ने पीड़िता से जानकारी की तो पीड़िता ने बताया कि अंशू भइया ने बैंक से निकलने के बाद अपने घर के सामने पकड़ लिया और अपने घर ले गये थे तथा कमरे में बन्द करके उसकी (पीड़िता की) पेशाब की जगह में उंगली डाली और पेशाब वाली जगह में अपनी पेशाब की नली डाली थी तथा अंशू ने उसके (पीड़िता के) मुंह में भी पेशाब वाली नली डाली थी। तब उसने अपने पति से अलग ले जाकर पीड़िता के कपड़े हटाकर देखा तो उसकी (पीड़िता की) पेशाब वाली जगह से खून आ रहा था और कपड़ों पर भी खून लगा था। अंशू ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। तभी मौके पर हाजिर अदालत अभियुक्त अंशू भी आ गया और अंशू ने कहा कि ''मुझसे गलती हो गयी है इस घटना की रिपोर्ट न लिखाओ'' जिस पर उसके पति ने मना किया और 100 नम्बर पर पुलिस को फोन लगाने को कहा। फोन लगाने के लिए बच्चे से कहा तो अंशू ने फोन छीन लिया और पति से हाथापाई करने लगा। उसने अपने पति को बचाया तथा खेतों पर आस–पास काम करने वाले लोग आ गये थे और उनके ललकारने पर अभियुक्त अंशू ने धमकी दी कि जान से मार दूंगा और उसको गवाही देने लायक नहीं रखूंगा और वहां से भाग गया। फिर वह और उसके पति कंचौसी चौकी बिटिया पीड़िता को लेकर गये और वहां से फिर थाना दिबियापुर गये। थाने में उसके पति ने हाजिर अदालत अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लिखायी थी। वहां पर पुलिस ने उससे, बिटिया से तथा पति से घटना के बारे में पूछताछ की थी और बिटिया का बयान महिला पुलिस ने लिखा था। फिर पुलिस ने बिटिया का मेडीकल परीक्षण कराया था। फिर पुलिस उसे व पति को

WWW.LIVELAW.IN

लेकर घटनास्थल पर गयी थी। पति की तबियत उस समय खराब हो जाने के कारण उसने घटनास्थल दिखाया था और कमरे में पुलिस ने चारपाई का निवाड़ और कपड़े बगैरा लिये थे। चारपाई की निवाड़ में खून लगा हुआ था। निवाड़ पर खून लगा हुआ था। अंशू उसका भतीजा है और इसने उसकी बेटी पीड़िता के साथ बहुत गलत हरकत की है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। वह आज बिना किसी डर या भय के स्वेच्छा से बयान दे रही है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

25. अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी शकुन्तला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह कुशीनगर उ0प्र0 की रहने वाली है। उसकी शादी दिबियापुर में आकर हुई थी। शादी में अंशू के पिता शामिल हुये थे। एक महीने बाद अंशू की मां ने मारा था और अलग कर दिया था और मकान, जमीन भी नहीं दिया था। वह झोपड़ी बनाकर गांव रोशंगपुर में रहती है। लड़की भी वहीं रहती है। कंचौसी बाजार हमेशा आना–जाना रहता है। रोशंगपुर से कंचौसी बाजार एक किमी0 है। ग्राम रोशंगपुर से कंचौसी बाजार स्कूल में बेटी पढ़ने आती है। उसके तीन बच्चे हैं, पीड़िता सबसे छोटी है। जिस दिन की वह घटना बता रही है, उस दिन वह रोशंगपुर से दो किमी0 जानवर चराने गयी थी। जानवर चराकर वह दो–ढाई बजे घर आ गयी थी। वह रोज दो–ढाई बजे आ जाती है। घटना के दिनांक को पीड़िता घर से एक बजे दिन में गयी थी। जाते समय उसकी बात हुई थी। उसने कहा कि खाता खुला आओ। बैंक में खाता खुलवाने के लिए उसने अपनी पुत्री पीड़िता को उसका आधारकार्ड दिया था। नाबालिग होने की बजह से बैंक में खाता नहीं खुल पाया था। उसने यह सोचकर खाता खुलवाने भेजा था कि उसमें कुछ पैसा पड़ता रहेगा और धीरे–धीरे इकट्ठा हो जायेगा। उसके पास उसके खाते की पासबुक है। बैंक में अकेले पीड़िता खाता खुलवाने गयी थी। पहली बार लगभग दो–ढाई बजे घटना की जानकारी हुई कि किसी ने उसकी लड़की से बुरा काम किया है। उसकी लड़की लंगड़ाते हुए आयी थी। उसके पति लगभग चार बजे घर आये थे। पुत्री के आने के तुरन्त बाद अभियुक्त अंशू तुरन्त आ गया था। अंशू ने कहा कि चाची थाने मत जाओ। अंशू वहां एक मिनट रूका और उसके साथ मारपीट की। मोबाइल छीन लिया 100 नम्बर डायल नहीं करने दिया। लड़की दो–ढाई बजे घर आ गयी थी। चौकी पर चौकी वाले पुलिस वाले थे। चौकी में 10 मिनट रूकी थी। फिर चौकी से वह दोनों लोग लड़की को लेकर थाने गये। पुलिस वाले चौकी पर आ गये थे। इस प्रश्न पर गवाह ने कहा कि चौकी वाले ही आ गये थे। थाने पहुंचने का समय याद नहीं है, लेकिन अंधेरा हो गया था। थाने में 10 मिनट रूकी थी। 10 मिनट में थाने में रिपोर्ट लिखी गयी, उसके बाद लड़की की डाक्टरी उसी दिन औरैया अस्पताल में हुई थी।

WWW.LIVELAW.IN

रिपोर्ट होने के करीब आधा घण्टे बाद थाने की गाड़ी से अस्पताल गयी थी। अंशू के माता–पिता से बात हुई थी। वह भी घटना वाले दिन ही थाने पहुंच गये थे। थाने में अंशू के माता–पिता व बड़ा भाई आया था। उसने इसके माता–पिता से यह नहीं पूछा था कि अंशू ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अंशू के माता–पिता ने उसकी लड़की पीड़िता से पूछा तो पीड़िता ने बताया था कि ''अंशू भैया ने मेरे साथ बलात्कार किया है''। यह कहना गलत है कि अंशू के माता–पिता ने पीड़िता से ऐसी बात न पूछी हो। उसके तीनों बच्चे उसका कहना मानते हैं। उसके लड़के उसके सिखाने के अनुसार नहीं बोलते है। जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन वह अंशू के घर गयी थी। उसके बाद नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना अंशू द्वारा न की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि घटना की उसे आज तक सही जानकारी नहीं हो पायी। उसे टाइम नहीं मालूम है कि वह, अंशू के घर कब गयी। वह पढ़ी–लिखी नहीं है। वह अनपढ़ है, वह टाइम नहीं जानती है। वह मेडीकल कराने के बाद गयी थी। वह मेडीकल के बाद अंशू के घर गयी थी। यह कहना गलत है कि वह घटना वाले दिन किसी समय अंशू के घर न गयी हो, इसलिए समय की बात छिपा रही है।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य के चौथे साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को वह और उसका देवर रविन्द्र कुमार अपने घर के बाहर मौजूद थे। तभी समय करीब डेढ़ से दो बजे दिन में सुरेश की पुत्री पीड़िता को उसका चचेरा भाई अंशू पकड़कर लेकर जा रहा था और उसे (पीड़िता को) अपने घर में ले गया था। फिर वह अपने काम में लग गयी थी। फिर जब पुलिस पहुंची थी तब उसे पता चला था कि अंशू ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है।

27. अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी मीरा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके पति तीन भाई हैं। बबुल कुमार, फिर झल्लन उर्फ जितेन्द्र, फिर तीसरे रविन्द्र उर्फ लल्ला हैं। उस दिन वह और उसके देवर रविन्द्र घर पर थे। रविन्द्र नौकरी नहीं करते हैं। वह कंचौसी बाजार में रहती है। जितेन्द्र व रविन्द्र ग्राम परसादपुर्वा में रहते हैं। परसाद पुर्वा कंचौसी बाजार से 2–3 किमी है। परसाद पुर्वा में उसकी खेती है। रविन्द्र व जितेन्द्र वहां खेती करते हैं। हां यह वही रविन्द्र हैं, जिन्होंने सन 2018 में अंशू के खिलाफ आकांक्षा को ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था और आकांक्षा दूसरे दिन सुबह मिल गयी थी। फिर कहा कि 4.00 बजे की बात है और रात में मिल गयी थी। उसका उस मुकदमें में कोई बयान नहीं

WWW.LIVELAW.IN

हुआ है। रविन्द्र का बयान उस मुकदमें में हुआ है। उसका और अंशू के पिता का पास–पास प्लाट है तथा बीच में खाली जगह है। उस खाली जगह पर न्यास भरी है, किसकी है वह नहीं बता सकती। आज से लगभग 6 माह पूर्व अंशू ने मारपीट का मुकदमा उसके पति के खिलाफ नहीं किया था, बल्कि रविन्द्र के खिलाफ किया था। उसे जानकारी नहीं है कि उस मुकदमें में पुलिस ने जांच की थी और उसके देवर रविन्द्र के खिलाफ आरोप–पत्र न्यायालय में भेज दिया है। वह नहीं बता सकती कि उस मापरीट में अंशू को 15–16 चोटें आयी थी। वह पीड़िता के भाईयों के नाम नहीं जानती है और कितने भाई हैं, यह भी नहीं जानती है। पीड़िता दूर गांव में रहती है, उसका गांव करीब 01 किमी0 दूर, कंचौसी बाजार से है। वह कंचौसी बाजार सब्जी लेने कभी–कभी जाती है। वह कभी–भी पीड़िता के घर नहीं गयी है। वह नई–नई आयी है, वह उन लोगों से कभी नहीं मिली। वह सुरेश के लड़कों को नहीं पहचानती है। यह कहना गलत है कि वह सुरेश सिंह के परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं जानती है और न ही वह पीड़िता को जानती है। यह कहना भी गलत है कि पुराने मुकदमें की रंजिश की वजह से तथा अंशू द्वारा दर्ज कराये मुकदमें में दबाव बनाने के लिए वह झूठा बयान दे रही है। यह कहना गलत है कि दिनांक 09.09.2019 को पीड़िता को अंशू के साथ देखने वाली बात वह अंशू को झूठा फसाने के लिए झूठ बोल रही है। अंशू के घर पुलिस शाम को साढ़े पांच बजे आ गयी थी। बलात्कार करने वाली बात इस आधार पर बता रही है कि उसने पीड़िता को घर से रोते हुए जाते हुए देखा था। जब वह (पीड़िता) रोती हुई जा रही थी तब उसने उसे (पीड़िता को) रोककर उससे कोई बात नहीं की थी और बलात्कार करते उसने देखा भी नहीं था। वह अनुमान के आधार पर न्यायालय में बता रही है। यह कहना गलत है कि पूर्व की उपरोक्त घटनाओं से रंजिश मानने के कारण वह बदले की भावना से अंशू को फंसाने के लिए वह झूठा बयान दे रही है।

28. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–06 के रूप में डा0 सीमा गुप्ता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी के रूप में तैनात थी। उस दिन 08.15 पी0एम0 पर महिला कां0 लक्ष्मी, थाना दिबियापुर जिला औरैया उसके समक्ष मु0अ0सं0 499/2019 की पीड़िता पुत्री सुरेश निवासी रोशंगपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया को मेडीकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थी। उसने पीड़िता का दाहिने हाथ का अंगूठा पत्रावली पर अंकित करके उसकी मां शकुन्तला की सहमति से स्टाफ नर्स अर्चना, महिला कां0

WWW.LIVELAW.IN

लक्ष्मी और पीड़िता की मां की उपस्थिति में मेडीकल परीक्षण किया। पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था। पीड़िता के गुप्तांग पर जमा हुआ व ताजा खून था। योनि में 1.5 x 1 x 0.1 सेमी0 का घाव था। जो लैट्रिन के रास्ते की तरफ योनि के मुख पर था। घाव से ताजा खून आ रहा था तथा जमा हुआ खून भी उपस्थित था। उसने पीड़िता के कपड़े तीन अलग–अलग लिफाफों में सील किये। पीड़िता का डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु उसने योनि का स्राव, लैट्रिन के रास्ते का स्राव, नाखून के अन्दर (Swab) स्राव लिया था। पीड़िता ने बताया था कि उसके मुंह में गुप्तांग डाला गया था लिहाजा उसने पीड़िता के मुख का स्राव लिया था। पीड़िता का डी0एन0ए0 टेस्ट के लिए उसने 2 एम0एल0 ब्लड सेम्पल ई0डी0टी0ए0 वाइल में लिया था। सारे सेम्पल सील बन्द कर एफ0एस0एल0 लखनऊ ले जाने के लिए पुलिस को दिये थे। पीड़िता की उम्र लगभग 08 वर्ष थी। चिकित्सीय परीक्षण में गुप्तांग पर जमा हुआ खून था। योनि के मुख पर घाव था। जहां से लाल खून आ रहा था व कुछ जमा हुआ खून भी था जो बलात्कार के फलस्वरूप हो सकता है। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 12क/1 लगायत 12क/8 चिकित्सीय परीक्षण आख्या पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–06 के रूप में साबित किया है। दिनांक 16.09.2019 को पैथोलॉजी एवं एक्स–रे रिपोर्ट आने पर पूरक आख्या तैयार की गयी जो पत्रावली में कागज संख्या 13क/1 लगायत 13क/2 के रूप में शामिल है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा पीड़िता की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–07 के रूप में साबित किया है।

29. चिकित्सक साक्षी डॉ0 सीमा गुप्ता से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि मेडीकोलीगल रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 01 पर अंकित पेशेन्ट की उम्र उसकी मां के बताने पर लिखी थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 15क/3 पर घटना का विवरण लक्ष्मी चौधरी द्वारा लिखा गया है और उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर हैं, उसके नीचे उसकी (पीड़िता की) मां शकुन्तला का निशान अंगूठा है। घटना का समय 03.00 बजे बताया गया था, जो उसने अंकित किया था। कागज संख्या 12क/4 में विवरण उसने अपने हाथ से भरा है। पीड़िता के बताने के आधार पर लिखा है। उसने पीड़िता से पूछा था कि घटना के पूर्व कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज हुई थी कि नहीं, तो उसने (पीड़िता ने) इन्कार किया था। घटना के समय कोई ब्लीडिंग थी कि नहीं, तो उसने (पीड़िता ने) मना किया था। उसके (पीड़िता के) बाहरी शरीर पर परीक्षण के दौरान कोई चोट नहीं पायी गयी थी। खून बाहर निकलने के 15–30 मिनट के बाद जमना शुरू हो जाता है। उसने मेडीकल 08.15 पी0एम0 से शुरू कर 10.10 पी0एम0 तक दिनांक 09.09.2019 को किया

WWW.LIVELAW.IN

था। जिस समय उसने मेडीकल किया था, उस समय खून रिस रहा था। उसने प्राईवेट पार्ट (गुप्तांग) की चोट के साइज अंकित किये थे। 1.5 X 1 X 0.5 सेमी0 अंकित किया है। उसने एन्टीबायोटिक दवा दी थी और ड्रैसिंग की थी। यह कहना गलत है कि उसने स्वयं पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण न किया जो, बल्कि पीड़िता की मां व महिला कां0 के बताने के आधार पर रिपोर्ट तैयार की हो। न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछने पर साक्षी ने बताया कि बलात्संग के प्रत्येक मामलों में पीड़िता के निजी हिस्से में शुक्राणु पाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। यदि पीड़िता के शरीर से ज्यादा खून निकला हो तो ऐसी दशा में परीक्षण में शुक्राणु नहीं पाया जाता है। साक्षी ने बताया कि बलात्संग के समय यदि अभियुक्त के वीर्य का स्खलन, पीड़िता के शरीर के अन्दर होने की बजाये बाहर हो जाये तो भी पीड़िता के गुप्तांग में शुक्राणु नहीं पाये जाते हैं। साक्षी ने बताया कि यदि पुरूष अपने शरीर का लिंग महिला के गुप्तांग में प्रवेश कराता है और उसके वीर्य का स्खलन नहीं होता है, तब भी शुक्राणु नहीं पाये जाते हैं।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने सम्बन्धी तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–07 के रूप में महिला कां0 लक्ष्मी चौधरी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–07 महिला कां0 लक्ष्मी चौधरी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को वह थाना दिबियापुर में तैनात थी। उक्त दिनांक को विवेचक निरीक्षक निर्भयचन्द्र द्वारा पीड़िता का बयान लिखने के लिए कहा था। उस पर उसने पीड़िता के बोलने पर उसका (पीड़िता का) नाम पता पूछते हुए बयान अंकित किया है। उक्त बयान पत्रावली में कागज संख्या 9क के रूप में संलग्न है। बयान उसके लेख व हस्ताक्षर में है। उक्त बयान को पीड़िता को पढ़कर सुनाया था, फिर पीड़िता के हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने बयान के लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा पीड़िता के हस्ताक्षर की पुष्टि की। साक्षी ने कागज संख्या 9क प्रदर्श क–01 की भी पुष्टि की। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित करने के बाद वह पीड़िता को लेकर मेडीकल परीक्षण के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया गयी थी। वहां पर चिकित्सक के समक्ष उसके द्वारा कागज संख्या 12क/3 पर अंकित विवरण पीड़िता के बोलने पर, पीड़िता की मां और महिला चिकित्सक डा0 सीमा गुप्ता की उपस्थिति में अंकित किया था, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है और उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर और उसकी (पीड़िता की) मां का निशान अंगूठा व डाक्टर के हस्ताक्षर हैं। महिला चिकित्सक द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया था।

WWW.LIVELAW.IN

31. अभियोजन पक्ष की ओर से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता किये जाने सम्बन्धी कार्य एवं पुलिस प्रपत्रों को साबित करने के लिए, अभियोजन साक्षी संख्या–05 के रूप में महिला कां0 रेखा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–05 महिला कां0 रेखा ने न्यायालय में दिये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को शिकायतकर्ता सुरेश यादव ने अपनी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 10 वर्ष एवं अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी घनश्यामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर के साथ थाना पर उपस्थित होकर एक किता प्रार्थना पत्र अभियुक्त द्वारा अपनी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 10 वर्ष के साथ जबरन बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया था, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 499/2019 धारा 376, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घटना दिनांक 09.09.2019 घटनास्थल मकान अभियुक्त, बहद ग्राम रोशंगपुर थाना दिबियापुर, दिशा पूरब दूरी करीब 12 किमी वादी सुरेश यादव बनाम अंशू पुत्र कुंवर सिंह निवासी रोशंगपुर थाना दिबियापुर व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध रपट कायमी करते हुए चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी। रपट कायमी व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने बोल–बोलकर कां0 673 अरूण कुमार से टाइप करायी थी। रपट कायमी व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही क्रम में समय करीब 19.48 बजे किये गये है। घटना की विवेचना नकल चिक व नकल रपट के साथ विवेचना हेतु निरीक्षक निर्भयचन्द्र के सुपुर्द की गयी व सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया गया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल नकल रपट संख्या 57 कागज संख्या 7क/1 को प्रदर्श क–04 के रूप में साबित किया है। पत्रावली में शामिल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/2 को अपने द्वारा तहरीर के आधार पर बोल–बोलकर टाइप कराना बताया तथा उस पर निरीक्षक के हस्ताक्षर की पुष्टि की। साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–05 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार साक्षी महिला कां0 रेखा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट किता किये जाने सम्बन्धी सभी तथ्यों की पुष्टि न्यायालय के समक्ष की है।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द बरामदगी को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–08 के रूप में उपनिरीक्षक रामप्रकाश को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–08 उपनिरीक्षक रामप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को सुरेश यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम रोशंगपुर, कंचौसी द्वारा थाना दिबियापुर पर लिखित तहरीर दी गयी थी कि उसकी लड़की पीड़िता उम्र करीब 10 वर्ष को जबरन मुंह दबाकर घर के अन्दर ले जाकर अंशू पुत्र मुन्नू बाबू उर्फ

WWW.LIVELAW.IN

कुंवर सिंह निवासी कंचौसी बाजार थाना दिबियापुर जिला औरैया ने बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 499/2019 धारा 376, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में पंजीकृत होकर मय प्रभारी निरीक्षक व हमराही उपनिरीक्षक महिला विनेश यादव के साथ कंचौसी बाजार पहुंचा। मय हमराही आरक्षी बृजमोहन को तलब कर घटनास्थल अभियुक्त के घर कंचौसी बाजार पहुंचा। घटनास्थल पर मफलर सिलेटी रंग, जांगिया काफी रंग व चारपाई की निवाड़ धारीदार, जिसमें कई जगह खून व वीर्य के धब्बे लगे थे, तीन निवाड़ को काटकर कब्जे पुलिस लेकर मौके पर एक सफेद कपड़े में सील सर्व मुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। फर्द मौके पर विवेचक निर्भय चन्द्र निरीक्षक के बोलने पर उसके द्वारा लिखी गयी और पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर स्वयं निरीक्षक निर्भय चन्द्र, उपनिरीक्षक विनेश यादव व प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर व कां0 बृजमोहन के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द कागज संख्या 10क/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा फर्द को प्रदर्श क–08 के रूप में साबित किया।

33. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की विवेचना एवं पुलिस प्रपत्रों को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–09 के रूप में निरीक्षक निर्भयचन्द्र को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–09 निरीक्षक निर्भयचन्द्र ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को वह थाना दिबियापुर में निरीक्षक अपराध के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक 09.09.2019 को समय 19.48 बजे घटनास्थल वहद ग्राम कंचौसी मकान अभियुक्त, वादी सुरेश यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया बनाम अंशू पुत्र कुंवर सिंह, निवासी कंचौसी बाजार थाना दिबियापुर, वादी द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर थाना हाजा में मु0अ0सं0 499/2019 धारा 376, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में पंजीकृत होकर नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल रपट कायमी मुकदमा उसे विवेचना किये जाने हेतु प्राप्त करायी गयी। उसके द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी व प्रथम सूचना रिपोर्ट का वर्णन केस डायरी के पर्चा–01 में किया गया तथा नकल रपट का अवलोकन कर विवरण अंकित किया गया। स्वयं साक्षी, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला व म0उ0नि0 विनेश मय हेड कां0 शिरोमणि भदौरिया व कां0 जयवीर सिंह व सरकारी जीप मय चालक अजय कुमार के साथ घटनास्थल पर रवाना हुआ। पीड़िता को मेडीकल परीक्षण कराने हेतु महिला कां0 लक्ष्मी चौधरी व महिला कां0 रवीना को मजरूबी चिट्ठी देकर सरकारी अस्पताल रवाना किया गया। थाने से घटनास्थल को रवाना होने से पूर्व बयान महिला कां0 रेखा, प्रथम

WWW.LIVELAW.IN

सूचना रिपोर्ट लेखक व सी0सी0टी0एन0एस0 कर्मी अरूण कुमार व बयान वादी मुकदमा सुरेश यादव व पीड़िता का बयान महिला कां0 लक्ष्मी चौधरी से अंकित कराया व अवलोकन कर केस डायरी में वर्णन किया व बयान महिला आरक्षी लक्ष्मी चौधरी का अंकित किया। उक्त दिनांक 09.09.2019 को ही पीड़िता की माता व पिता को साथ लेकर निरीक्षण घटनास्थल किया। मौके पर चौकी प्रभारी कंचौसी उपनिरीक्षक रामप्रकाश को मय हमराही आरक्षी बृजमोहन तलब किया और घटनास्थल अभियुक्त के घर, स्थित कंचौसी बाजार पहुंचा। घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर, वादी द्वारा बताये गये घर कि, इसी घर में उसकी बेटी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया है, पीड़िता व उसकी मां शकुन्तला को घर के अन्दर ले गये और घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शानजरी तैयार किया जो कि पत्रावली में कागज संख्या 14क के रूप में संलग्न है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने नक्शानजरी को प्रदर्श क–09 के रूप में साबित किया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि इसी निवाड़ की चारपाई में अंशू द्वारा उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी। चारपाई के ऊपर सिलेटी रंग का मफलर व काफी रंग की जांघिया रखे थे। जिन्हें देखा गया तो उसमें खून और वीर्य के धब्बे लगे थे तथा चारपाई की निवाड़ में भी खून के धब्बे लगे थे। खून के धब्बे लगे तीन निवाड़ काटकर मफलर, जांघिया व निवाड़ को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर किया गया। फर्द को उपनिरीक्षक रामप्रकाश से बोल–बोलकर लिखाया गया एवं घटनास्थल पर मौजूद निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला, महिला उपनिरीक्षक विनेश व कां0 बृजमोहन के फर्द बरामदगी में हस्ताक्षर बनवाये गये तथा स्वयं हस्ताक्षर किये। फर्द में हस्ताक्षर कराने के पूर्व फर्द सभी को पढ़कर सुनायी गयी थी। जो फर्द पत्रावली में कागज संख्या 10क/1 प्रदर्श क–08 के रूप में संलग्न है। साक्षी ने उपनिरीक्षक रामप्रकाश के हस्तलेख एवं फर्द की पुष्टि की। केस डायरी के पर्चा–02 में अवलोकन चिकित्सीय परीक्षण किया। चिकित्सीय परीक्षण अवलोकन के उपरान्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के घर पर दबिश दी गयी। अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त के पहने हुए कपड़े नेकर बाजारू सिलेटी रंग, जांघिया Reform नीली रंग जिसमें खून के धब्बे लगे हैं, रेडीमेड बाजारू शर्ट सिलेटी रंग वास्ते रासायनिक परीक्षण कब्जे पुलिस में लिया गया। बरामद कपड़ों को सील सर्वमुहर किया गया। फर्द मौके पर उसके द्वारा लिखी गयी। जिसे लिखने के बाद पढ़कर सुनाकर कां0 सचिन वर्मा व बृजमोहन एवं उपनिरीक्षक रामप्रकाश व अभियुक्त अंशू को सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द उसके लेख व हस्ताक्षर में हैं। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा

WWW.LIVELAW.IN

फर्द को प्रदर्श क–10 के रूप साबित किया। मेडीकल रिपोर्ट के अवलोकन के बाद धारा 376–AB व 506 भा0द0सं0 व 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में तरमीमी की गयी, जिसका हवाला सामान्य डायरी नम्बर 29 में किया गया, जो पत्रावली में कागज संख्या 7क/2 के रूप में संलग्न है। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी साक्षी ने पुष्टि की तथा प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया। बयान साक्षी व पीड़िता की मां शकुन्तला का अंकित किया गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में कराया गया। पीड़िता एवं अभियुक्त के खून व वीर्य के धब्बे लगे कपड़े तथा घटनास्थल से प्राप्त कपड़े व चारपाई के निवाड, जोकि चारपाई से काटकर लिया गया, को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के लाट नं0 7627 मु0अ0सं0 499/2019 दिनांक 13.09.2019 को लिफाफा दो बण्डल वास्ते डी0एन0ए0 परीक्षण दाखिल किये गये। चिकित्सीय परीक्षण आख्या, घटनास्थल से प्राप्त खून आलूदा कपड़े आदि, चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक का बयान व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अंशुल पुत्र मुन्नू उर्फ कुंवर सिंह यादव निवासी कंचौसी बाजार थाना दिबियापुर जनपद औरैया के विरूद्ध धारा 376–AB व 506 भा0द0सं0 व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अभियोग साबित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 376/2019 दिनांकित 19.09.2019 न्यायालय में प्रेषित किया गया। कम्प्यूटर द्वारा टाइप आरोप पत्र कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/3 के रूप में पत्रावली में संलग्न है। जो उसके द्वारा टाइप कराया गया है व हस्ताक्षरित है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा आरोप–पत्र को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–09 निरीक्षक निर्भयचन्द्र ने सम्पूर्ण विवेचना कार्य को न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

34. बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की उम्र 10 वर्ष है। पीड़िता ने न्यायालय में बयान देने से पूर्व शपथ नहीं ली थी। इस प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान सशपथ बयान नहीं है। पीड़िता/साक्षी कम उम्र की होने के कारण अपने से किये गये प्रश्नों एवं उनके उत्तर समझने में सक्षम नहीं है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य विधिक दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। इस साक्षी के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

35. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 स्वयं पीड़िता है, उसी के साथ घटना घटी है। पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान के द्वारा, अपने द्वारा पूर्व में दिये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 व बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 तथा चिकित्सक को दिये गये बयान

WWW.LIVELAW.IN

का समर्थन किया है। पीड़िता एक सक्षम साक्षी है। पीड़िता ने अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है। अतः अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

36. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की आयु तहरीर प्रदर्श क–03 में 10 वर्ष अंकित है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने अपने बयान में अपनी उम्र 10 वर्ष बतायी है तथा पीड़िता के पिता सुरेश सिंह अभियोजन साक्षी संख्या–02 तथा पीड़िता की माता शकुन्तला अभियोजन साक्षी संख्या–03 ने अपने सशपथ बयान में पीड़िता की उम्र 10 वर्ष बतायी है। प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा पीड़िता की आयु लगभग 08 वर्ष अवधारित की गयी है। कागज संख्या 8क (विद्यालय अभिलेख) में पीड़िता की जन्मतिथि 07.03.2009 अंकित है। इस प्रकार पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर न्यायालय की राय है कि पीड़िता की उम्र घटना के समय लगभग 10 वर्ष थी।

37. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता जोकि लगभग 10 वर्ष की है, के द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं तथा पीड़िता एक सक्षम साक्षी है या नहीं ? न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अवधारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 में प्रावधान है कि कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकेगा। धारा 118 इस प्रकार है ''सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्द्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किये गये प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।'' इस प्रकार धारा 118 में दिये गये प्रावधान से स्पष्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सक्षम साक्षी होने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं की गयी है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा किये गये प्रश्नों को समझने एवं उनका युक्ति संगत उत्तर देने में सक्षम है तो वह सक्षम साक्षी हो सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता का बयान न्यायालय में अंकित किये जाते समय पीड़िता कम उम्र की साक्षी थी, घटना के सम्बन्ध में पीड़िता का न्यायालय में बयान लिखे जाने के पूर्व न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पीड़िता एक सक्षम साक्षी है या नही। पीड़िता की सक्षमता के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उससे कुछ प्रश्न किये गये, जो इस प्रकार हैं–

प्रश्न–आपका क्या नाम है ?

उत्तर– मेरा नाम ''A'' है।

प्रश्न–आपके पिता का क्या नाम है ?

उत्तर–मेरे पिता का नाम सुरेश यादव है।

प्रश्न–आपकी उम्र कितनी है ?

WWW.LIVELAW.IN

उत्तर–मेरी उम्र करीब 10 वर्ष है।

प्रश्न–आप किस गांव में रहती हो ?

उत्तर–मैं ग्राम रोशंगपुर में रहती हूं।

प्रश्न–आपकी मां का क्या नाम है ?

उत्तर–शकुन्तला देवी।

प्रश्न–आप कितने भाई–बहिन हो ?

उत्तर–मैं दो भाई व मैं स्वयं अकेली बहिन हूं।

प्रश्न–आपके भाईयों का क्या नाम है ?

उत्तर–एक भाई का नाम विनोद और दूसरे का नाम कमलेश है।

प्रश्न–आप पढ़ने जाती हो ?

उत्तर–हां, पढ़ने जाती हूं। प्रा0वि0 में पढ़ती हूं।

प्रश्न–किस कक्षा में पढ़ती हो ?

उत्तर–कक्षा 5 में पढ़ती हूं।

प्रश्न–अदालत में किसलिये आयी हो ?

उत्तर– मैं न्यायालय में गवाही देने आयी हूं।

प्रश्न–अदालत में सच बोलना चाहिए या झूंठ ?

उत्तर–सच बोलना चाहिए।

प्रश्न–कसम का मतलब जानती हो ?

उत्तर–हां जानती हूं।

38. इस प्रकार पीड़िता से किये गये प्रश्न एवं उसके द्वारा दिये गये उत्तरों की प्रकृति का देखते हुए न्यायालय इस बात से संतुष्ट हुई कि पीड़िता एक सक्षम साक्षी है। उसके उपरान्त घटना के सम्बन्ध में पीड़िता का बयान लिखा गया था।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Shamim Vs. State (NCT of Delhi) (2018) 10 SCC 509 में अवधारित किया है कि कोमल आयु का व्यक्ति या बालक उन घटनाओं को जीवन पर्यन्त नहीं भूलता है जो उसके दिमाग एवं शरीर पर असाधारण असर डालती हैं।

40. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Datta Ramrao Sakhare v State of Maharashtra (1997) 5 SCC 341 में धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निर्वचन करते हुए प्रतिपादित किया है कि धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत एक बालक (Child) को भी सक्षम साक्षी माना जा सकता है तथा उसकी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है यदि ऐसा बाल साक्षी न्यायालय द्वारा किये गये प्रश्नों एवं उनके उत्तर को समझने की सामर्थ्य रखता है।

41. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Ratanshinh Dalsukhbhai Nayak v State of Gujarat (2004) 1 SCC 64 में भी इसी आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल में

WWW.LIVELAW.IN

पारित निर्णय P Ramesh Vs. State Rep by Inspector of Police Criminal Appeal No. 1013 of 2019 Judgment Dated July 9, 2019 में भी अपने द्वारा पूर्व में निर्णीत विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर पुनः अवधारित किया है कि बाल साक्षी, सक्षम साक्षी होता है।

42. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–01 कम उम्र होने एवं शपथ न लेने के बावजूद एक सक्षम साक्षी है।

43. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार अपने घर के अन्दर किया था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना कारित किये जाने के तुरन्त पश्चात पीड़िता द्वारा घटना के सम्बन्ध में अपने माता–पिता से घटना की शिकायत की गयी थी। पीड़िता द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 में किये गये कथन, न्यायालय में दिये गये बयान तथा इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार किया जा रहा है–

44. पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.09.2019 को करीब 01.00 बजे दिन की बात है, वह बैंक से घर आ रही थी, उसे अंशू भइया अपने घर के पास मिले थे, फिर अभियुक्त अंशू, उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने घर के अन्दर के कमरे के अन्दर ले गये और कमरा बन्द कर लिया। फिर उसके कपड़े उतारे और उसकी सूसू वाली जगह में पहले उंगली डाली बाद में अपनी सूसू वाली नली उसके (पीड़िता के) सूसू वाली जगह में डाली थी। अभियुक्त उसे चिल्लाने नहीं दे रहा था, उसका मुंह बन्द किये थे। सूसू वाली नली उसके मुंह में भी डाल दी थी। उसने अभियुक्त अंशू भइया के हाथ जोड़े तथा पैर पकड़े थे तब उसे छोड़ा था। उसे बहुत दर्द हुआ था और खून निकला था। कपड़े पहनकर वह लंगड़ाते एवं भागते हुए अपने घर आयी और अपने मम्मी–पापा को सारी बात बतायी थी। घटना के समय खून उसके कपड़े और अभियुक्त की चारपाई में लगा था।

45. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार पीड़िता के साथ घटना घटित होने के उपरान्त पीड़िता, अभियुक्त अंशू के घर से भागते हुए तथा लंगड़ाते हुए अपने घर गयी थी। घर जाकर तुरन्त अपने मम्मी–पापा को सारी घटना बतायी थी। पीड़िता के पिता अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 09.09.2019 को उसकी पुत्री पीड़िता घर पर रोते हुए तथा लंगड़ाते हुए आयी थी तथा पूछने पर पीड़िता ने रोते हुए बताया था कि अभियुक्त अंशू ने उसके साथ बलात्कार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला,

WWW.LIVELAW.IN

जोकि पीड़िता की मां है, ने अपने सशपथ बयान में बताया है कि उसकी पुत्री पीड़िता घर पर रोते हुए एवं लंगड़ाते हुए आयी थी तथा पूछने पर उसने बताया कि अभियुक्त अन्शू ने उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता की मां शकुन्तला अभियोजन साक्षी संख्या–03 ने पीड़िता के कपड़े हटाकर देखा तो पीड़िता के पेशाब वाली जगह से खून निकल रहा था तथा कपड़ों पर भी खून लगा था। इस प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की संपुष्टि, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह तथा अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला के सशपथ बयान से भी होती है। धारा 157, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी साक्षी के पूर्व कथन को साक्ष्य में ग्राह्य बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने घटना के सम्बन्ध में अपने धारा 164 दं0प्र0सं0 (प्रदर्श क–02) के बयान एवं चिकित्सक के समक्ष (प्रदर्श क–06) जो कथन किया है तथा अपनी मां शकुन्तला एवं पिता के समक्ष घटना के तुरन्त पश्चात जो कथन किया है, वह धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्व कथन की श्रेणी में आयेगा तथा साक्ष्य में ग्राहय होगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने Nabi Ahmad Vs. State of U.P., 1999 (2) Crimes 272 (All-D.B.); Utpal Das Vs. State of WB, AIR 2010 SC 1894; Baijnath Singh Vs. State of Bihar, 2010 (70) ACC 11 (SC) एवं Ram Kishan Singh Vs. Harmit Kaur and Another ((1972) 3 SCC 280) में अवधारित किया है कि यदि साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की संपुष्टि धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान से हो रही है तो धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 के अन्तर्गत ग्राह्य होगा।

46. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान में स्पष्ट कहा है कि अभियुक्त ने घटना अपने घर के कमरे के अन्दर स्थित चारपाई पर कारित की थी तथा बलात्संग की घटना में पीड़िता के शरीर से खून निकला था और पीड़िता का खून कपड़ों एवं चारपाई पर लगा था। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त थाना दिबियापुर की पुलिस अभियुक्त के घर घटनास्थल पर गयी थी तथा घटनास्थल से अभियुक्त का मफलर एवं जांघिया बरामद किया था तथा अभियुक्त की चारपाई की निवाड़ पर लगे खून एवं वीर्य के धब्बों को भी काटकर कब्जे में लिया था। घटनास्थल पर बरामद वस्तुओं की फर्द (प्रदर्श क–08) दिनांक 09.09.2019 को ही मौके पर बनायी गयी थी। फर्द बरामदगी (प्रदर्श क–08) को अभियोजन साक्षी संख्या–08 उपनिरीक्षक रामप्रकाश एवं अभियोजन साक्षी संख्या–09 निरीक्षक निर्भयचन्द्र ने साबित किया है। अभियुक्त की चारपाई पर खून पाये जाने से भी पीड़िता के

WWW.LIVELAW.IN

बयान की सम्पुष्टि होती है।

47. अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान की प्रतिपरीक्षा के पैरा–06 में बताया है कि अभियुक्त अंशू का मकान बैंक के पास है। अभियुक्त अंशू के घर तथा बैंक के बीच सड़क है। नक्शानजरी प्रदर्श क–09 से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि अभियुक्त अंशू के घर एवं बैंक के बीच सड़क है। नक्शानजरी प्रदर्श क–09 से इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि अभियुक्त अंशू का घर एवं बैंक पास–पास हैं। इस प्रकार नक्शानजरी से भी पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि हो रही है।

48. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के दिन पीड़िता बैंक जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। पीड़िता के बैंक जाने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से मनगढ़न्त कहानी बनायी गयी है, क्योंकि अवयस्क बच्चों का बैंक में खाता नहीं खुलता है। पीड़िता का बैंक जाना एवं घटना स्थल पर उपस्थिति साबित नहीं है। अतः अभियोजन कथानक साबित नहीं है।

48.1 बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के विरोध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि पीड़िता एक छात्रा है और स्कूल जाने वाले गरीब छात्रों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों का अवस्यक होने के बावजूद बैंक में खाता खुलवाया जाता है, क्योंकि छात्रवृत्ति स्कूली छात्रों के बैंक खाते में सीधे आती है। चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना के दिन अभियुक्त के घर में पीड़िता की उपस्थिति साबित है, इसलिए अभियोजन पक्ष को इस बात की साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं थी कि पीड़िता घटना के दिन बैंक गयी थी।

48.2 बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्यों से यह साबित है कि घटना के दिन पीड़िता बैंक में खाता खुलवाने गयी थी तथा यह भी साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर के सामने पकड़कर अपने घर के अन्दर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। अतः न्यायालय की राय है कि पीड़िता के बैंक जाने के सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों को परीक्षित कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है कि वह अपने कथानक को साबित कराने के लिए कितने एवं किन साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित करायेगा।

49. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का का तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला एवं अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। पीड़िता के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। पीड़िता एक हितबद्ध साक्षी है। यह स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने

WWW.LIVELAW.IN

किसी स्वतन्त्र साक्षी के द्वारा अपने कथानक को साबित नहीं कराया है। अत पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अत अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

50. अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना अभियुक्त ने कारित की है। यह घटना अभियुक्त ने अपने घर के अन्दर कमरे में कारित की है। घटना के समय अभियुक्त के घर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकता है। अतः बचाव पक्ष के तर्क में कोई बल नहीं है। पीड़िता का बयान विश्वनीय है। अभियोजन कथानक साबित है। अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

51. उभयपक्षों के उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस सम्बन्ध में उपबन्धित प्रावधानों का न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या विहित नहीं की गयी है। धारा 134 इस प्रकार है–''किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।'' प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान में घटना का दिनांक, घटनास्थल, घटना का समय साबित किया है। पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान द्वारा साबित किया है कि दिनांक 09.09.2019 को, जब वह बैंक से अपने घर वापस आ रही थी, अभियुक्त अन्शू ने उसे अपने घर के सामने पकड़ लिया और अपने घर के अन्दर कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। इस घटना में पीड़िता के शरीर से खून निकला था जोकि पीड़िता के कपड़े एवं अभियुक्त की चारपाई की निवाड़ पर लगा था। पीड़िता ने घटना के तुरन्त बाद घर आकर अपनी मां शकुन्तला को सारी बात बतायी थी। पीड़िता की मां शकुन्तला अभियोजन साक्षी संख्या–03 ने इस तथ्य को साबित किया है कि दिनांक 09.09.2019 को उसकी पुत्री पीड़िता भागते हुए एवं लंगड़ाते हुए घर आयी तथा रोते हुए बताया था कि अभियुक्त अंशू ने उसके साथ बलात्कार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला ने पीड़िता के कपड़े हटाकर देखा तो पीड़िता के गुप्तांग से खून आ रहा था। अभियोजन साक्षी संख्या–02 ने भी अभियोजन साक्षी संख्या–01 एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 के बयान की संपुष्टि किया है। इस प्रकार पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा घटना के तुरन्त बात रोते हुए एवं लंगड़ाते हुए घर जाकर अपनी मां को घटना बताना पीड़िता के आचरण को प्रदर्शित करता है।

52. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में किसी व्यक्ति के आचरण को सुसंगत बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 में जो दृष्टांत (j) दिया गया है, वह न्यायालय के समक्ष विचारणीय

WWW.LIVELAW.IN

मामले के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाता है। अतः उपरोक्त दृष्टांत का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है। धारा 8 का दृष्टांत (j) इस प्रकार है – ''प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत है। यह तथ्य कि उसने परिवाद किये गये बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है''। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता का लंगड़ाते एवं रोते हुए घर आकर अपनी मां से घटना की शिकायत करना सुसंगत है।

53. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Sheikh Zakir Vs. State of Bihar AIR 1983 SC 911; 1983 CrLJ 1285; (1983) 4 SCC 10 में अवधारित किया है कि यदि बलात्संग पीड़िता घटना के तुरन्त पश्चात घटना की शिकायत करती है तो पीड़िता का आचरण धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं पीड़िता द्वारा किया गया कथन धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य होगा।

54. पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01, सुरेश सिंह अभियोजन साक्षी संख्या–02 एवं शकुन्तला अभियोजन साक्षी संख्या–03 ने साबित किया है कि दिनांक 09.09.2019 को पीड़िता के घर आने के तुरन्त पश्चात अंशू, वादी मुकदमा के घर आया था। पीड़िता के घर आकर अभियुक्त अंशू ने शिकायत न करने की बात कही एवं अपनी गलती मानी तथा जान से मारने की धमकी दिया। घटना के तुरन्त पश्चात अभियुक्त अंशू द्वारा इस प्रकार का आचरण करने से भी अभियोजन कथानक की संपुष्टि होती है कि अभियुक्त ने घटना कारित किया था।

55. प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 09.09.2019 को घटना घटित होने के पश्चात तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त सम्बन्धित थाना द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण, जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में दिनांक 09.09.2019 को कराया गया था। थाना दिबियापुर जिला औरैया की महिला कां0 950 लक्ष्मी, पीड़िता को लेकर चिकित्साधिकारी डा0 सीमा गुप्ता के पास गयी थी। डा0 सीमा गुप्ता द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 09.09.2019 को 08.15 पी0एम0 से 10.10 पी0एम0 तक किया गया था। चिकित्सीय परीक्षण में डा0 सीमा गुप्ता (अभियोजन साक्षी संख्या–06) ने पीड़िता के गुप्तांग पर जमा हुआ तथा ताजा खून पाया था। पीड़िता की योनि में 1.5 x 1 x 0.1 सेमी0 का घाव पाया था। अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता के सशपथ बयान से साबित है कि पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता का डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु पीड़िता की योनि का स्राव, लैट्रिन के रास्ते का स्राव एवं नाखून के अन्दर का स्राव लिया था। अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता ने चिकित्सीय

WWW.LIVELAW.IN

परीक्षण (प्रदर्श क–06) में पाया कि पीड़िता के शरीर के निजी भाग (Private part) पर जो चोट आयी थी, वह यौन हमला (Sexual Assault) के कारण आयी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता के सशपथ बयान, चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–06 एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–07 से भी साबित है कि पीड़िता को जो चोट आयी थी वह यौन हमला के कारण आयी थी।

56. अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता, अभियोजन साक्षी संख्या–08 उपनिरीक्षक रामप्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या–09 निरीक्षक निर्भयचन्द्र के सशपथ बयान तथा चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–06, पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–07 एवं फर्द बरामदगी प्रदर्श क–08 के अवलोकन से साबित है कि पीड़िता के वेजाइनल स्वाब (Vaginal Swab), वुल्वल स्वाब (Vuelval Swab), पैजामी, चढ्ढी एवं अन्य सामग्री तथा अभियुक्त के कपड़े एवं अन्य सामग्री को डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या 42क के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 में उपबंधित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या को साबित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या कागज संख्या 42क में पीड़िता के वेजाइनल स्वाब, वुल्वल स्वाब, पैजामी एवं चढ्ढी पर उपस्थित बायोलाजिकल द्रव्य में पुरूष एलील (Allele) की उपस्थिति पायी गयी। इस प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या में इस बात की पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना कारित हुई थी। पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से साबित है कि अभियुक्त अंशू ने दिनांक 09.09.2019 को पीड़िता के साथ बलात्संग किया था। इस प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की पुष्टि अभियोजन साक्षी संख्या–06 डा0 सीमा गुप्ता तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या कागज संख्या 42क से भी होती है।

57. बलात्संग के मामले में जहां घटना का अन्य कोई साक्षी नहीं होता है, पीड़िता घटना की एक मात्र साक्षी होती है, वहां पर पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी अवधारित की जा सकती है या नहीं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णीत विधियों में सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए अवधारित किया है कि बलात्संग पीड़िता के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी अवधारित की जा सकती है, यदि बलात्संग पीड़िता का साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय पाया जाता है। बलात्संग की अभियोक्त्री या ऐसी महिला, जिसके साथ बलात्संग कारित किया गया है, की साक्ष्य का विशेष महत्व होता है। अभियोक्त्री या बलात्संग पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है, यदि उसका

WWW.LIVELAW.IN

साक्ष्य स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हो। State of Punjab Vs. Gurmit Singh and others AIR 1996 SC 1393 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि न्यायालय, अभियोक्त्री/बलात्संग पीड़िता की साक्ष्य पर, बिना उसकी सम्पुष्टि के भी भरोसा कर सकता है। न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि क्या बलात्संग पीड़िता का बयान स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। इसी प्रकार State of Punjab Vs. Ram Dev (AIR) 2009 SC 1290 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें प्रावधान हो कि महत्वपूर्ण बातों पर बलात्संग पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि आवश्यक है। State of M.P. Vs. Dayal Sahu 2005 Criminal Law Journal 4374 (SC) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि बलात्संग पीड़िता का बयान विश्वसनीय है, वहां पर बलात्संग पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी कारित की जा सकती है तथा बलात्संग पीड़िता की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है। Wahid Khan Vs. State of U.P. (2010) 2 SCC 9 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि बलात्संग के मामले में पीड़िता की साक्ष्य की सम्पुष्टि किये बिना दोषसिद्धी कारित की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Himachal Pradesh vs Asha Ram AIR 2006 SC 381: 2005 (13) SCC 766 में अवधारित किया है कि पीड़िता का बयान मजरूब साक्षी (Injured Wittness) से ज्यादा विश्वनीय होता है। इसी प्रकार State of Maharashtra Vs Chandra Prakash Kewalchand Jain, 1990 (1) SCC 550 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि यौन अपराध से पीड़ित व्यक्ति की साक्ष्य को सह–अपराधी (Accomplice) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि यौन अपराध से पीड़ित व्यक्ति की साक्ष्य को घायल साक्षी (Injured Witness) से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्थाओं Praveen Vs. State of Haryana, 1997 SCC (Cr.) 97 एवं Marvadi Kishor Parmanand Vs. State of Gujarat, 1994 SCC (Cr.) 1294 में अवधारित सिद्धांतों का अवलम्ब लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने Anees @ Rais Vs. State 2018 (105) ACC 767 में अवधारित किया है कि एक मात्र साक्षी (Sole Witness) की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है यदि उक्त साक्षी विश्वसनीय है एवं उसकी संपुष्टि अन्य साक्ष्यों से हो रही है।

58. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता का साक्ष्य पूर्णतया विश्वनीय है। पीड़िता की साक्ष्य की पुष्टि अभियोजन साक्षी संख्या–02, अभियोजन साक्षी

WWW.LIVELAW.IN

संख्या–03 एवं अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा के सशपथ बयान से तथा चिकित्सीय साक्ष्यों से भी होती है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा ने पीड़िता को अभियुक्त के साथ उसके घर जाते हुए देखा है। पीड़िता ने घटना के तुरन्त बाद घर जाकर अपनी मां से पूरी घटना की शिकायत की थी। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में भी घटना की पुष्टि की है। पीड़िता अपने घर भागते हुए एवं लंगड़ाते हुए गयी थी। इस प्रकार पीड़िता के न्यायालय में दिये गये बयान से, पीड़िता के आचरण से तथा अन्य साक्ष्यों से भी पीड़िता के बयान की संपुष्टि होती है तथा पीड़िता का बयान पूर्णतया विश्वनीय पाया जाता है।

59. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह वादी मुकदमा एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला के बयानों में विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने घटना का समय 01.00 बजे बताया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह ने अपने बयान में बताया है कि उसे घटना की जानकारी लगभग तीन बजे हुई थी तथा अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला ने बताया है कि उसका पति लगभग चार बजे घर आया था तथा पीड़िता लगभग दो–ढाई बजे घर आयी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह वादी मुकदमा एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसी आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

60. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान की प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या–06, (पेज 05 एवं 06) में कहा है कि वह बैक 01.00 बजे गयी थी तथा बैंक में एक घण्टा रूकी। इस प्रकार साबित है कि घटना लगभग 02.00 बजे की है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला ने अपने सशपथ बयानों में कहा है कि वे पढ़े–लिखे नहीं हैं। पीड़िता के घर पहुंचने का निश्चित समय उन्होंने नहीं बताया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन करने से स्पष्ट है कि घटनास्थल एवं घटना के दिनांक के सम्बन्ध में साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। चूंकि अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 शकुन्तला पढ़े–लिखे नहीं है, इसलिए पीड़िता के घर पहुंचने के समय में थोड़ा–बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इस प्रकार का विरोधाभास यह इंगित करता है कि साक्षियों ने रटे–रटाये बयान नहीं दिये हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से बयान दिये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Shamim Vs. State (NCT of Delhi) (उपरोक्त) में अवधारित किया है कि साक्षियों के बयान में मामूली विरोधाभास होने के आधार पर

WWW.LIVELAW.IN

अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साक्षियों के बयान में मामूली विरोधाभास या विसंगति होने से अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता तभी प्रभावित होगी, जबकि उक्त विरोधाभास या विसंगति मामले की जड़ (Root of the Matter) तक जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के बयानों में जो थोड़ा–बहुत विरोधाभास है, वह घटना के पश्चात पीड़िता के अपने घर पहुंचने के समय को लेकर है। पीड़िता के साथ अभियुक्त अंशू द्वारा घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में अर्थात मूल अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में साक्षियों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 09.09.2019 को अभियुक्त अंशू ने पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना कारित थी या नहीं ? अभियोजन साक्षियों के बयान से यह पूर्णतया साबित है कि दिनांक 09.09.2019 को जब पीड़िता बैंक से वापस अपने घर आ रही थी तो अभियुक्त अंशू ने पीड़िता को रास्ते में अपने घर के सामने पकड़ लिया तथा उसे पकड़कर अपने घर के अन्दर ले जाकर कमरे में बलात्संग किया था। इस प्रकार गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास होने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

61. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण की तहरीर अशोक कुमार से लिखवाकर दी गयी थी। तहरीर लेखक अशोक कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार तहरीर लेखक अशोक कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित न कराये जाने से तहरीर साबित नहीं है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और इसी आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

62. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर लेखक अशोक कुमार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। तहरीर लेखक अशोक कुमार ने कोई घटना स्वयं नहीं देखी है, इसलिए तहरीर लेखक को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन कथानक की विश्सनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Moti Lal Vs. State of U.P., 2009 (7) Supreme 632 एवं Anil Kumar Vs. State of U.P., (2003) 3 SCC 569 में अवधारित किया है कि जहां पर तहरीर लेखक घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और वादी मुकदमा ने अपने को अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराकर तहरीर को साबित किया है वहां पर तहरीर लेखक को परीक्षित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुरेश सिंह वादी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श क–03 पर अपने निशान अंगूठा तथा इसमें लिखे गये तथ्यों को साबित किया है। अतः न्यायालय की राय है कि तहरीर लेखक को परीक्षित कराये

WWW.LIVELAW.IN

जाने की आवश्यकता नहीं थी तथा तहरीर लेखक को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

63. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त के पिता एवं पीड़िता के पिता सुरेश यादव जोकि वादी मुकदमा है, आपस में सगे भाई हैं तथा वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के पिता के मध्य जमीन को लेकर दीवानी मुकदमा चल रहा है। उसी रंजिश के कारण वादी मुकदमा सुरेश यादव ने अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा से भी अभियुक्त के पिता का मुकदमा चल रहा है, इसीलिए अभियोजन साक्षी संख्या–04 मीरा ने न्यायालय में झूठी गवाही दी है। अतः इन साक्षियों का बयान विश्वसनीय नहीं है।

64. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करने से यह साबित है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना के शीघ्र पश्चात पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सक ने यह पाया था कि पीड़िता के गुप्तांग (Private Part) के आसपास जो चोट एवं खून था वह यौन हमले के कारण था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से साबित है कि पीड़िता के साथ बलात्संग कारित किया गया था। इस प्रकार समस्त साक्ष्यों के विवेचन से न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 09.09.2019 को जब पीड़िता बैंक से घर आ रही थी तो अभियुक्त अंशू, पीड़िता को पकड़कर अपने घर के अन्दर ले गया तथा घर के कमरे के अन्दर पीड़िता पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा पीड़िता के घर जाकर वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी थी। अतः वादी मुकदमा सुरेश सिंह एवं अभियुक्त अंशू के पिता के मध्य जमीन का विवाद होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वादी मुकदमा सुरेश यादव ने जमीन के विवाद में दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था Puranchand Vs. State of H.P., 2014 (86) ACC 279 (SC) = (2014) 5 SCC 689 में पीड़िता के पिता एवं अभियुक्त के मध्य रंजिश या मुकदमेबाजी थी, परन्तु अभियोजन कथानक युक्तियुक्त रूप से एवं संदेह से परे साबित था। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि जहां पर अभियोजन कथानक साक्ष्यों से पूर्णतया साबित है, वहां पर पक्षकारों के मध्य रंजिश या मुकदमेबाजी के आधार पर अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

65. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन करने के उपरान्त न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह साबित करने में पूर्णतया

WWW.LIVELAW.IN

सफल रहा है कि दिनांक 09.09.2019 को दिन में जब पीड़िता सेन्ट्रल बैंक कंचौसी से वापस अपने घर आ रही थी तथा जब पीड़िता, अभियुक्त अंशू के घर के पास पहुंची तो अभियुक्त अन्शू, पीड़िता का हाथ पकड़कर अपने घर के अन्दर ले गया तथा कमरे में ले जाकर पीड़िता का मुंह दबाकर पीड़िता के गुप्तांग में पहले उंगली डाली बाद में अपनी सूसू की नली को पीड़िता की सूसू के रास्ते में डाला था तथा अपना लिंग पीड़िता के मुंह तथा गुप्तांग में डालकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा वादी मुकदमा सुरेश सिंह को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार अभियुक्त अंशू के विरूद्ध अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 376–AB एवं 506 भा0दं0सं0 तथा अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया सफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

(1) अभियुक्त अन्शू को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 376–AB भा0दं0सं0 1860 के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(2) अभियुक्त अन्शू को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0 1860 के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(3) अभियुक्त अन्शू को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(4) अभियुक्त अन्शू, जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली भोजनावकाश (लंच) के बाद पुनः पेश हो।

दिनांक 16.10.2019

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
कक्ष संख्या–01, औरैया।

WWW.LIVELAW.IN

दिनांक 16.10.2019

1. पत्रावली पुनः पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दोषसिद्ध अपराधी अंशू के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र सिंह तौमर न्यायालय में उपस्थित हैं।

2. दोषसिद्ध अपराधी अंशू के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त 19 वर्षीय नवयुवक है तथा खेती करके अपने माता–पिता का सहयोग करता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्ध अपराधी के पूर्व आचरण को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अपराधी की भविष्य में सुधार की गुंजाईश है। अधिक समय तक कारागार में निरूद्ध रहने से उसका भावी जीवन प्रभावित होगा। अतः उसकी अल्पायु को देखते हुए उसे कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस आशय का तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध अपराधी अंशू ने पीड़िता/नाबालिग जोकि मात्र 10 वर्ष की है तथा दोषसिद्ध अपराधी के सगे चाचा की लड़की है, को पकड़कर अपने घर में ले गया तथा पीड़िता का मुंह दबाकर पीड़िता के साथ बलात्संग एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कारित कृत्य बहुत ही घृणित है जो दोषसिद्ध अपराधी की घिनोनी मानसिकता को दर्शाता है। यह भी तर्क है कि पीड़िता के पिता अत्यधिक गरीब हैं तथा विकलांग विश्व स्कूल परिसर के अन्दर झोपड़ी डालकर रहते है। दोषसिद्ध अपराधी ने उसकी गरीबी का फायदा उठाकर अपनी सगी चचेरी बहन के साथ घृणित कार्य कर पारिवारिक रिश्तेदारी को कलंकित किया है। दोषसिद्ध अपराधी का समाज में स्वछन्द रहना समाज के लिए घातक है। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कारित अपराध अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का है। यह भी तर्क है कि 18 वर्ष आयु से कम के बालकों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने हेतु भारतीय संसद द्वारा विशेष अधिनियम, यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया है। इस विशेष अधिनियम में संसद एवं अधिनियम की मंशा है कि अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये तथा अपराधी के साथ उदार दृष्टिकोण न अपनाया जाए। अतः दोषसिद्ध अपराधी के आपराधिक कृत्य को देखते हुए उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

4. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि दोषसिद्ध अपराधी को धारा 376–AB भा0दं0सं0 एवं धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोषसिद्ध किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दिनांक 16.08.2019 से

WWW.LIVELAW.IN

संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा इस अधिनियम की धारा 6 में विधायिका द्वारा सजा में वृद्धि करते हुए मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान किया गया है और अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं प्रकृति तथा मामले के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ की श्रेणी में आता है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि दोषसिद्ध अपराधी एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। दोषसिद्ध अपराधी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण विशेष वाद संख्या 51पी/2018 राज्य प्रति अंशू आदि अन्तर्गत धारा 342, 307 एवं 364–ए भा0दं0सं0 इसी न्यायालय के समक्ष लम्बित है, जो बहस के स्तर पर है।

5. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। दोषसिद्धी के पश्चात किसी अभियुक्त को कितना दण्ड दिया जाये, इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से इस न्यायालय द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Deepak Rai etc. Vs. State of Bihar (2013) 10 SCC 421 में अवधारित किया है कि अभियुक्त की कम आयु सजा को कम करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of M.P. Vs. Najab Kahn & Ors.; AIR 2013 SC 2997 में अवधारित किया है कि किसी अपराधी को समुचित दण्ड देते समय न्यायालय को अभियुक्त के व्यक्तिगत हित एवं सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य एक सन्तुलन स्थापित करना चाहिए तथा समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को हमेशा ज्यादा महत्व देना चाहिए।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of M.P. Vs. Munna Choubey and another (2005) 2 SCC 710 में अवधारित किया गया है कि जहां पर किसी स्त्री पर यौन हमला किया जाता है या बलात्कार किया जाता है, वहां पर पीड़िता को केवल शारीरिक हिंसा कारित नहीं होती है, बल्कि ऐसी मानसिक हिंसा कारित होती है, जो कि मृत्यु पर्यन्त रहती है। शारीरिक चोट या धब्बा (Scar) को भरा जा सकता है, परन्तु मानसिक चोट का घाव जीवन पर्यन्त रहता है। अभियुक्त को कम सजा दिये जाने से देश की न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था पर संदेह उत्पन्न होता है तथा आम आदमी का न्यायालय से विश्वास उठ सकता है, इसलिए अभियुक्त के प्रति अनावश्यक सहानुभूति या उदारता दिखाया जाना उचित नहीं होता है।

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने Dinesh alias

WWW.LIVELAW.IN

Buddha Vs. State of Rajasthan (2006) 3 SCC 771 में अवधारित किया है कि बलात्संग के मामले में दण्ड की मात्रा पीड़िता या अभियुक्त की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, दण्ड की मात्रा अभियुक्त के व्यवहार, बलात्संग की पीड़िता की उम्र एवं उसकी दशा तथा अपराध की गम्भीरता पर निर्भर करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Shimbhu and another Vs. State of Haryana (2014) 13 SCC 318 में अवधारित किया है कि बलात्कार (Rape) का अपराध एक अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का अपराध होता है। यह सम्पूर्ण समाज के विरूद्ध होता है, साथ ही यह मानव गरिमा के विरूद्ध अपराध होता है। माननीय न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि दण्ड संहिता में प्रावधानित दण्ड की मात्रा से विधायिका के मनतव्य का भी पता चलता है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा 10 वर्ष की लड़की के साथ बलात्संग एवं गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 में कारित अपराधों के लिए इस अधिनियम की धारा 6 में दण्ड का प्रावधान किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में किये गये नवीनतम संशोधन (जोकि दिनांक 16.08.2019 से लागू है) के द्वारा इस अधिनियम की धारा 6 में मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय का आज का फैसला विधायिका की मंशा एवं सोच के अनुरूप है कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और इससे गम्भीरतापूर्वक निपटा जाना चाहिए तथा ऐसे मामलों का शीघ्र विचारण किया जाना चाहिए। न्यायालय की राय है कि यह मामला ''दुर्लभतम से भी दुर्लभ'' (Rarest of the rare) की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि विशेष मामलों की श्रेणी में आता है।

11. भा0दं0सं0 की धारा 376–AB तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 में वर्णित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय की राय है कि दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कारित अपराध एवं उसकी गम्भीरता तथा पीड़िता की उम्र एवं दशा को देखते हुए दोषसिद्ध अपराधी के साथ सहानुभूति दिखाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 (दिनांक 03.02.2013 से संशोधित) में आनुकल्पिक दण्ड का प्रावधान किया गया है कि ''जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया अपराधी उस विधि या इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित दंड के लिए, जो मात्रा में गुरुतर हो,

WWW.LIVELAW.IN

दायी होगा।''

13. भा0दं0सं0 की धारा 376–AB में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा। इसी प्रकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 में (दिनांक 16.08.2019 से प्रभावी) संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि ''जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही प्रावधानों में दण्ड की मात्रा समान है, परन्तु धारा 42 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय है कि दोषसिद्ध अपराधी अंशू को धारा 376–AB भा0दं0सं0 के स्थान पर, धारा 5 सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

14. न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपराध एक सोची समझी योजना के तहत कारित किया गया था। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार जघन्य तरीके से किया गया। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कोई भी पछतावा नहीं दिखाया गया। अपराध की गंभीरता एवं उसकी प्रकृति को देखते हुए न्यायालय की राय है कि दोषसिद्ध अपराधी के विरूद्ध निम्न दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा–

दण्डादेश

(1) दोषसिद्ध अपराधी अंशू पुत्र कुंवर सिंह निवासी रोशनपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया को मुकदमा अपराध संख्या 499/2019 विशेष वाद संख्या 74पी/2019 थाना दिबियापुर जनपद औरैया में कारित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 5(m) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास से, जिससे दोषसिद्ध अपराधी का शेष प्राकृत जीवनकाल (Remainder of the natural life) तक का कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाता है।

(1.1) उपरोक्त दण्डादेश के साथ–साथ दोषसिद्ध अपराधी को दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसके द्वारा एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

WWW.LIVELAW.IN

(1.2) धारा 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत, दोषसिद्ध अपराधी पर अधिरोपित उपरोक्त अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि, पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वासन हेतु प्रदान की जायेगी।

(2) दोषसिद्ध अपराधी अंशू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अपराध के लिए तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

(3) इस प्रकरण में दोषसिद्ध अपराधी द्वारा पूर्व में बितायी गयी कारावास की अवधि को इस दण्ड की मात्रा में समायोजित किया जायेगा।

(4) दोषसिद्ध अपराधी का सजा अधिपत्र बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जावे।

(5) दोषसिद्ध अपराधी को इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

दिनांक 16.10.2019

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
कक्ष संख्या–01, औरैया।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 16.10.2019

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
कक्ष संख्या–01, औरैया।